07/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की संभावना है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 3938/3632 रकबा 111.17 बीघा भूमि अवस्थित है,जो कि मुतवफी वीरया,तिलिया पिसरान विरदा के नाम खातेदारी में इन्द्राज थी। वीरया प्रार्थीगण के दादा/दादा ससूर लगते है। वीरया के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 छगानाराम व अन्य वारिसान के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार विवादित आराजी पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण के जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गए है,क्योकि प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 01 छगनाराम के विधिक वारिसान है,लेकिन विप्रार्थी विवादित आराजी को बेचान करने एवं मौका स्थिति फेरबदल करने पर उतारू है। यदि स्थगन आदेश जारी नही किया गया,तो प्रार्थीगण को क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जावे कि विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की यथास्थिति बनाए रखें। हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 3938/3632 रकबा 111.17 भूमि विप्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी में खातेदारी धोषित करवानें व स्थाई निषेघाज्ञा का वांछित अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त [illegible] लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतु[illegible] प्रार्थीग[illegible] पक्ष में नहीं बनता है तथा अ[illegible] क्षति [illegible] के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि प्रार्थीगण विवादिता आराजी की खातेदारी धोषित करवानें की इस्तदुआ चाही गई है,जबकि विप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है,यदि स्थगन आदेश पारित किया जाता है,तो विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होनी की संभावना	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

बनती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested